न्यायालय समाहर्त्ता सह जिला दंडाधिकारी, खगड़िया

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार–विविध (आंगनबाड़ी) वाद सं0–21/16–17 कल्पना साहु वनाम जिला कल्याण पदा0, खगड़िया एवं अन्य

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
19.09.2017	**आदेश** प्रस्तुत वाद आवेदिका कल्पना साहु, पति–तनुक प्रसाद साह, साकिन–सन्हौली, वार्ड नं0–6, थाना चित्रगुप्तनगर, जिला–खगड़िया द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर CWJC N0. 12975/2008 में पारित न्यायादेश दिनांक 06.10.2016 के आलोक में सेविका पद पर पुनः पदस्थापित करने के अनुरोध के साथ अभ्यावेदन समर्पित किया गया है। उक्त अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि आवेदिका का चयन ऑगनबाड़ी केन्द्र संख्या–124 पर सेविका के पद पर किया गया था, परन्तु दिनांक 08.11.07 को जिला कल्याण पदाधिकारी, खगड़िया के औचक निरीक्षण में टेक होम राशन वितरित नही होने के कारण बिना स्पष्टीकरण मांगे सेविका पद से नियोजन समाप्त कर दिया गया। उनका यह भी कहना है कि उनके द्वारा दिनांक 08.11.2207 के पहले टेक होम राशन का वितरण ससमय किया गया है। संयुक्त खाता में दिनांक 09.102007 से दिनांक 12.11.2007 के पोषाहार/राशि भेजा ही नही गया था जिसके वजह से टेक होम राशन वितरण नहीं कर सकती थी। ग्राम पंचायत सन्हौली के प्रतिनिधि स्वरूप मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य ने भी उनके कार्य की सराहना की है। उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना के CWJC सं0–12975/2008 में पारित आदेश दिनांक 06.10.2016 के आलोक में सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए ग्राम पंचायत राज सन्हौली के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र सं0–124 के सहनीं टोला में आंगनबाड़ी पद पर पुनः कार्य करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का परिशीलन किया। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 08.11.07 को जिला कल्याण पदाधिकारी, खगडिया द्वारा बाल विकास परियोजना खगड़िया अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र सं0–124 का निरीक्षण पूर्वाह्न 11.00 बजे से 11.40 बजे के बीच किया गया। औचिक निरीक्षण के क्रम में आंगनबाड़ी केन्द्र सं0–124 बन्द पाया गया। प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ शुक्रवार को केन्द्र से संबंधित 06 माह से 03 वर्ष के अन्दर के 40 कुपोषित/अतिकुपोषित बच्चे एवं आठ–आठ धात्री एवं गर्भवती महिलाओं के लिए टेक होम राशन का वितरण किया जाना निर्धारित है निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार टेक होम राशन वितरण नहीं किया गया। जिला कल्याण पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक 747/क0 दिनांक 08.11.07 द्वारा निदेशक, आई0सी0डी0एस0, बिहार,	

Received for submission 23/10/17

परियोजना पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा कार्यालय में समर्पित माह अक्टूबर, 07 के मासिक प्रतिवेदन से यह विदित होता है कि खगड़िया बाल विकास परियोजना को इस वर्ष में पोषाहार मद की मो0 8384195 रू0 का आवंटन प्राप्त है जिसमें माह अगस्त में ही मो0 6256950 रू0 की निकासी की गई है तथा माह अक्टूबर 07 तक मो0 3791288 रू0 व्यय किया गया है। मासिक प्रतिवेदन यह भी स्पष्ट है कि इस परियोजना में पोषाहार मद की राशि उपलब्ध है। पोषाहार की राशि की उपलब्धता के बावजूद भी इस परियोजना के आंगनबाड़ी केन्द्र सं0 124,128,129,139, एवं 141 पर दिनांक 08.11.07 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार टेक होम राशन का वितरण नहीं किया गया और इन सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों के सेविकाओं के विरूद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की गयी। उक्त के आलोक में निदेशक, समाज कल्याण विभाग (आई0सी0डी0एस0 निदेशालय) के आदेश ज्ञापांक 152 दिनांक 16.01.08 से सेविका को अपने कर्त्तव्यहीनता तथा मार्ग दर्शिका (2006) की कंडिका 11 (ख) के प्रावधानों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पोषाहार की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने संबंधी आदेश की अवहेलना के आलोक में चयन मुक्त करने का आदेश जिला पदाधिकारी, खगड़िया को दिया गया। उक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 92/क0, दिनांक 02.02.08 से सेविकाओं को मर्गदर्शिका की कंडिका 10 के तहत चयन मुक्त करने का आदेश दिया गया जिसमें सन्हौली पंचायत से श्रीमती कल्पना साहु भी सम्मिलित है।

अपीलार्थी का विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कथन है कि अपीलार्थी द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र का संचालन सुचारू रूप से चलाया जा रहा था और कहीं से भी उनके विरूद्ध कोई आरोप नहीं लगा है। सेविका को कई दिनों से पेट में दर्द होने के कारण डाक्टर से दिखाने के लिए दिनांक 08.11.07 को छुट्टी पर थी जिसकी जानकारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खगड़िया को दी गयी थी तथा छुट्टी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत कर दी गयी थी। डॉक्टर के चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं मेडिकल प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खगड़िया ने भी अपने पत्रांक 532/बा0वि0, दिनांक 02.12.11 से जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया को प्रतिवेदित किया गया है कि सेविका के पोषाहार खाता में राशि उपलब्ध नहीं थी। उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–12975/2008 में दिनांक 06.10.2016 को पारित आदेश के आलोक में सेविका के पद पर पुर्न बहाल करने का अनुरोध किया गया।

इस संबंध में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खगड़िया ने अपने प्रतिवेदन पत्रांक 318 दिनांक 12.09.2017 से प्रतिवेदित किया है कि जिला कल्याण पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा दिनांक 08.11.2007 को आंगनबाड़ी केन्द्र का औचक निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के समय अपीलार्थी द्वारा टेक होम राशन का वितरण करते हुए नहीं पाया गया। अपीलार्थी द्वारा अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करते हुए नहीं पाया गया और लाभूक बच्चे के हित की

निदेशक, आई0सी0डी0एस0 को पूर्ण तथ्य को अवगत कराते हुए अपीलार्थी को चयन मुक्त करने की अनुशंसा की गयी और अनुशंसा के आलोक में निदेशक, आई0सी0डी0एस0, बिहार, पटना द्वारा चयनमुक्त किया गया। अपीलार्थी के चयनमुक्ति के बाद केन्द्र संख्या–124 पर श्रीमति रूबी कुमारी को चयन कर दिया गया है और विधिवत कार्य लिया जा रहा है।

निदेशक, समाज कल्याण विभाग, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय ,बिहार, पटना के पत्रांक 3023 दिनांक 10.10.07 के अवलोकन से पता चलता है कि उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि "यदि कोई आंगनबाड़ी सेविका निर्धारित तिथि को इसका वितरण करते हुए नहीं पाया जाता है तो उसे तत्काल चयन मुक्त कर दिया जायेगा साथ ही इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण मान्य नही होगा"।

माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–12975/2008 में दिनांक 06.10.2016 को पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा जिला दंडाधिकारी, खगड़िया को याचिकाकर्त्ता के चयन मुक्ति के बिन्दु पर विचार कर सनवाई करते हुए इस मामले को निपटारा करने का आदेश दिया गया है।

विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि निदेशक, समाज कल्याण विभाग (आई0सी0डी0एस0 निदेशालय) बिहार पटना द्वारा नियमानुसार पारित आदेश सही है और सेविका को पुर्न बहाल करने का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि केन्द्र सं0–124 में सेविका का चयन किया जा चुका है।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों से स्पष्ट है कि दिनांक 03.11.2007 को जिला कल्याण पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा आंगनबाड़ी केन्द सं0–124 को निरीक्षण के दौरान केन्द्र बन्द रहने एवं टेक होम राशन का वितरण नहीं करने के आरोप में निदेशक, आई0सी0डी0एस0 को सेविका पर कार्रवाई हेतु अनुशंसा की गयी और अनुशंसा के आलोक में निदेशक, आई0सी0डी0एस0, बिहार द्वारा अपीलार्थी कल्पना साहु को चयन मुक्त करने का आदेश जिला पदाधिकारी, खगड़िया को किया गया। उक्त आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा सेविका को चयन मुक्त किया गया। अपीलार्थी का यह कहना कि मेडिकल छुट्टी पर थी जिसकी जानकारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खगड़िया को दिनांक 05.11.2007 को दी गयी थी तथा उनकी छुट्टी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा स्वीकृत कर दी गयी, स्वीकार योग्य नहीं है। क्योंकि अभिलेख में सेविका के अवकाश आवेदन से स्पष्ट होता है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा अवकाश स्वीकृत नहीं है। अपीलार्थी द्वारा समर्पित डा0 रामानन्द कुमार के चिकित्सा पुर्जा से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के घर सन्हौली से चिकित्सक का क्लीनिक की दूरी पैदल मात्र 5 से 10 मिनट की दूरी पर है और आंगनबाड़ी केन्द्र की समाप्ति के पश्चात रविवार के दिन भी इलाज हेतु चिकित्सक के पास जा सकती थी। चिकित्सक के पुर्जा से भी स्पष्ट होता है कि सुबह 9.00 बजे से 3.00 बजे तथा शाम

रहता है। अपीलार्थी के अवकाश आवेदन पर पर्यवेक्षिका के अनुशंसा तिथि में ओभर राईटिग से भी स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा उनके केन्द्र की जॉच के बाद कार्रवाई से बचने के लिए चिकित्सा पुर्जा बनवाया गया है। टेक होम राशन वितरण की पूर्व से निर्धारित दिवस के लिए ही मेडिकल छुट्टी हेतु तीन दिन पहले की तिथि में आवेदन देना भी संदेह उत्पन्न करता है। उनका यह कहना कि संयुक्त खाता में दिनांक 09.10.2007 से दिनांक 12.11.2007 के पोषाहार/राशि भेजा ही नहीं गया था जिसके वजह से टेक होम राशन वितरण नहीं कर सकती थी, यह भी स्वीकार योग्य नहीं है, क्योकि अपीलार्थी द्वारा यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि पूर्व में निकासी की गयी राशि उनके पास टेम होम राशन हेतु उपलब्ध नहीं था। जिला कल्याण पदाधिकारी, खगड़िया के जॉच प्रतिवेदन में उललेख किया गया है कि बाल विकास परियोना पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा माह अक्टूबर, 07 के मासिक प्रतिवेदन में माह अगस्त में ही मो0 6256950/– रू0 की निकासी की गई है तथा माह अक्टूबर, 07 तक मो0 3791288/– रू0 व्यय किया गया है। उपरोक्त निकासी एवं व्यय प्रतिवेदन से भी स्पष्ट होता है कि सेविका के पास निकासी की गयी राशि उपलब्ध था। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खगड़िया के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि आंगनबाड़ी केन्द्र सं0–124 पर रूबी कुमारी सेविका का चयन किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अपीलार्थी का आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता,
खगड़िया।

समाहर्त्ता,
खगड़िया।

ज्ञापांक 374 / विधि दिनांक 18.10.2017
प्रतिलिपि :- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- जिला कल्याण पदाधिकारी खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/10/17
प्रभारी पदाधिकारी
जिला विधि शाखा, खगड़िया
18/10/17